

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेशः


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / मा / संस्था / सी-4 / रजीगृ / जीव विज्ञान / स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक 29.09.2019 में क्रम संख्या 10 पर अंकित कॉलम संख्या 4 में अंकित जिला राजसमन्द के स्थान पर जिला प्रतापगढ़ संशोधित किया जाना है।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक 09/10/19
प्रतिशोधित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेषिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभाव) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
1. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
 2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
 3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
 4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।
 5. सम्बन्धित शाला / संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अनुभाग शासन दर्पण को तत्काल उद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आदेशानुसार रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें
 6. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिकों के कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण की प्रभावी मोनितरिंग करें।
 7. लेस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
 8. सम्बन्धित कार्मिक
 9. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर